न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 50/2018 (विविध)
आरसीएमएस संख्या :– 2018/00062

उनवान

1. नरेन्द्र पाण्डे } पुत्रगण श्री शिवदत्त जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा भुसावर तहसील भुसावर
2. योगेन्द्र पाण्डे } जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हीरा सिंह पुत्र मोतीराम } जाति माली निवासी भुसावर तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
2. कुन्दन सिंह पुत्र चिरंजी }

..... रेस्पोंडेंट।

प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने, न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2006 की पालना ।

उपस्थितिः–

1. श्री दिनेश शर्मा वकील अपीलांट।
2. रेस्पोंडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–06.04.2021

1. यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.02.2006 की पालना कराये जाने बाबत् पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के पिता शिवदतत पाण्डे ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर के यहॉ एक दावा पेश किया था एवं जिसके साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भी पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। परन्तु अप्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द होने के बाबजूद प्रार्थीगण के हरे पेडो को काट दिया। इस पर प्रार्थीगण के पिता श्री शिवदत्त पाण्डे ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश 39 नियम 2 ए जा0दी0 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही की जो दिनांक 15.11.2002 को खारिज कर दी गयी। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रार्थीगण के पिता ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 22.02.2006 से स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण को एक–एक माह के सिविल कारावास के साथ एक–एक हजार रूपये आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में पुनरावलोकन

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 17.02.2014 को खारिज हो गया। उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी न्यायालय में आज तक कोई अपील पेश नहीं की गयी है। परन्तु न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.02.2006 की आज तक कोई पालना नहीं हुई है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण/अपीलाण्ट द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहें, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये तर्क दिये कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.02.2006 की पालना आदिनांक तक नही हो पायी है। जबकि न्यायालय हाजा से अप्रार्थीगण का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र भी खारिज हो गया एवं उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र क निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी न्यायालय में कोई अपील दायर नहीं की गयी है। इस प्रकार न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक 22.02.2006 अन्तिम आदेश हो चुका है। प्रार्थीगण उनके कारावास के खर्चो को जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 22.02.2006 अनुसार अप्रार्थीगण को एक–एक माह के सिविल कारावास के साथ एक–एक हजार रूपये आर्थिक दण्ड से दण्डित किये जाने हेतु सम्बन्धित एस0एच0ओ0 को तहरीर जारी किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.1981 को अप्रार्थीगण/रैस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। परन्तु अप्रार्थीगण/रैस्पो0 ने अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द होने के बाबजूद प्रार्थीगण के हरे पेडो को काट दिया। इस पर प्रार्थीगण/अपीलाण्ट के पिता श्री शिवदत्त पाण्डे द्वारा अप्रार्थीगण/रैस्पो0 के विरूद्ध आदेश 39 नियम 2 ए जा0दी0 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में कार्यवाही की जो दिनांक 15.11.2002 को खारिज कर दी गयी। उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलाण्ट के पिता ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 22.02.2006 से स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण को एक–एक माह के सिविल कारावास के साथ एक–एक हजार रूपये आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण/रैस्पो0 ने न्यायालय हाजा में पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 17.02.2014 को खारिज हो गया। अपीलाण्ट का कथन है कि अप्रार्थीगण/रैस्पो0 द्वारा उक्त पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र के निर्णय के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में आज तक कोई अपील पेश नहीं की गयी है। हमने गौर किया। उक्त पुनवारलोकन प्रार्थना पत्र के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अप्रार्थीगण/रैस्पो0 द्वारा अपील की गयी हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण/रैस्पो0 न्यायालय में बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अतः सरसरी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण/रैस्पो0 ने कोई अपील दायर की अथवा नहीं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

भू प्रवन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अन्यथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 22.02.2006 की पालना हेतु सम्बन्धित एस0एच0ओ0 को तहरीर जारी करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी एवं
कार्य0 भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर